जनपद एवं सत्र न्यायालय, बुलन्दशहर।

कार्यालय विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-14/Admin-(D) Section दिनांकित 15.10.2022 के अनुक्रम में जनपद न्यायालयों से सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन पुर्ननियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. **उक्त सेवानिवृत जिला न्यायालय के कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

2. **एतद्‌वारा पुर्ननियुक्ति किसी रिक्त पद पर एक बार में एक वर्ष तक के लिए की जा सकेगी, अथवा जब तक कि वास्तविक रिक्ति को भरने के लिए, पदोन्नित या सीधी भर्ती के माध्यम से, रिक्तियों की पूर्ति न हो जाये, अथवा पुर्ननियुक्त कर्मचारी 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले होगा।**

3. **उक्त पुर्ननियुक्त पद पर परिलब्धियों के रूप में भुगतान की की गई राशि अंतिम आहरित वेतन के मूलधन में से पेंशन की राशि को घटाकर होगी।**

4. **उक्त पुर्ननियुक्ति का निर्धारण आवेदक / सेवानिवृत कर्मचारी के भूतकाल के सेवा अभिलेखों एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर किया जायेगा।**

आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 18.05.2024 की सांय 05.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में सीधे या रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर से प्रेषित कर सकते हैं। उपरोक्त नियत दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में किसी भी कार्यदिवस में कार्यविधि के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

क्रम संख्या	**पदनाम**	**रिक्तियां**
1	दफ्तरी	09
2	अर्दली/प्योन/आफिश प्योन/ फर्राश	21
3	आदेशिका वाहक	45
4	चौकीदार/वाटरमैन/स्वीपर व माली	03
5	स्वीपर (फिक्श पे अंकन 6000)	01

उक्त कार्यालय विज्ञप्ति समस्त न्यायालयों कर्मचारियों के मध्य परिचालित करायी जाये। सार्वजनिक प्रकाशन हेतु न्यायालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करायी जाये।

एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये। जिला सूचना अधिकारी कृत कार्यवाही से अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

30/04/2024

अध्यक्ष
चयन समिति
जनपद न्यायालय,
बुलन्दशहर